

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर

(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर)

Phone No. - 02973-294337

Email- dlsa20jalore@gmail.com

क्रमांक :- जि.वि.से.प्रा./जा/पी.एल.वी./विज्ञप्ति/2026/03

दिनांक :- 16/11/26

विज्ञप्ति

श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर का पत्रांक एफ 2(37)/पीएलवी/ डीएस-प्रथम/20000-35 दिनांक 24.11.2021 व 20812 दिनांक 22.11.2024, पत्रांक 15539-582 दिनांक 29.11.2025 तथा पत्रांक रालसा/2026/878-921 दिनांक 16.01.2026 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर एवं तालुका विधिक सेवा समितियों हेतु कुल 26 पैरालीगल वोलेन्टियर (अधिकार मित्र) के पदों पर प्रशिक्षण हेतु पैनलित कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	प्राधिकरण/तालुका मुख्यालय का नाम	पीएलवी(अधिकार मित्र) की संख्या
1	जालोर	06
2	आहोर	04
3	भीनमाल	06
4	रानीवाडा	04
5	सांचौर	06
	योग	26

1. शैक्षणिक योग्यता :- आवेदक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की अच्छी व व्यापक जानकारी एवं क्षमता होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. आवेदन पत्र :- आवेदक को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।
3. साक्षात्कार/परीक्षा :- आवेदकों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर योग्य आवेदकों का साक्षात्कार लिया जायेगा, साक्षात्कार में सफल रहे अभ्यर्थियों को पी.एल.वी. का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
4. चरित्र :- आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
5. शारीरिक योग्यता :- आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं व परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होने चाहिए। आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए व राजनीतिक परिपेक्ष से नहीं होना चाहिए।
6. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें :-
 - 1- जन्म प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 - 2- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
 - 3- नवीनतम दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिये।
 - 4- आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चिपकाएं (स्टेपल नहीं करें)।
 - 5- मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 - 6- जिला स्तर या जिस तालुका स्तर के लिए आवेदन किया जा रहा है उस हेतु क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव का स्थानीय निवासी होने के सत्यापन के संबंध में दस्तावेज आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
 - 7- किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नहीं होने का स्व-प्रमाणित शपथ पत्र।

अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जालोर

7. **आवेदन की अंतिम तिथि:-** आवेदक जिला मुख्यालय एवं तालुका मुख्यालय पर दिनांक 05.11.2026 तक इस प्राधिकरण कार्यालय एवं संबंधित क्षेत्र के तालुका विधिक सेवा समिति भीनमाल/रानीवाडा/सांचौर/आहोर कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप मय वांछित दस्तावेजों के जमा करवा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कतिपय विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। ई-मेल से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. **पात्रता:-** पैरा लीगल वॉलेन्टियर का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शॉर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। निम्नांकित व्यक्ति भी पैरालीगल वोलेंटियर पद हेतु आवेदन कर सकते हैं-
1. समाजशास्त्र में स्नातक/स्नात्कोत्तर स्तर के छात्र।
 2. आंगनवाडी कार्यकर्ता/साथिन।
 3. स्वयंसेवक, नेहरू युवा केन्द्र/सामाजिक कार्यकर्ता/राजीविका कार्यकर्ता।
 4. विधि छात्र/छात्राएं (जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हो)।
 5. गैर राजनीतिक दलो/संस्था के सदस्य जो सेवा भावना से चलने वाले गैर सरकारी संस्था तथा क्लब के सदस्य।
 6. एन.जी.ओ. क्लब, महिला ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के सदस्य।
 7. शिक्षित बंदी, जिसका व्यवहार अच्छा हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो।
 8. अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे।
9. **चयनित पैरा लीगल वॉलेन्टियर के कर्तव्य (ड्यूटी):-**
1. पैरालीगल वोलेंटियर (अधिकार मित्र), अपने गांव, मौहल्ले एवं आस-पास के नागरिकों को सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए, उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर या शिक्षित कर जागरूक करेगा।
 2. पैरालीगल वोलेंटियर(अधिकार मित्र), नागरिकों को विवादों/समस्याओं की प्रकृति के संबंध में जागरूक कर उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से अपने प्रकरणों/विवादों को निराकरण हेतु सम्पर्क करने हेतु प्रोत्साहित/जागरूक करेगा।
 3. पैरालीगल वोलेंटियर (अधिकार मित्र), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति को, विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने में सहयोग देगा।
 4. पैरालीगल वोलेंटियर (अधिकार मित्र), आम नागरिकों को राज्य प्राधिकरण/जिला/तालुका समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी देगा। उक्त संस्थाओं के पत्र व्यवहार के पतों की जानकारी देगा तथा निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराते हुए जागरूक करेगा।
 5. पैरालीगल वोलेंटियर(अधिकार मित्र), मुकदमा पूर्व विवादों को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के माध्यम से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा यह प्रचार-प्रसार करेगा कि मुकदमा पूर्व विवाद बिना किसी व्यय व समय खर्च किये, लोक अदालतों के माध्यम से निपटाये जा सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस भी देय नहीं है।

6. पैरालीगल वोलेन्टियर (अधिकार मित्र), आम नागरिकों को जानकारी देकर जागरूक और प्रोत्साहित करेगा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को, लोक अदालत अथवा मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से, समझौता के आधार पर निपटा लिये जाने पर, उन प्रकरणों में पूर्व में जमा की गई कोर्ट फीस वापस पाने के हकदार है तथा लोक अदालत में निर्णित प्रकरणों की कोई अपील आदि नहीं होती है।
7. पैरालीगल वोलेन्टियर (अधिकार मित्र), आम नागरिकों को जन-उपयोगी सेवाओं, जैसे- परिवहन सेवा, डाक, तार या दूरभाष/टेलिफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, स्वच्छता संबंधी सेवा, अस्पताल या औषधालय या बीमा संबंधी सेवाओं, बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं, आवासीय सेवाएं, लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस सेवा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं या आवास एवं भू-सम्पदा सेवाओं से संबंधित विवादों को स्थाई लोक अदालत के माध्यम से बिना न्यायालय शुल्क के निपटाया जा सकता है, के बारे में जागरूक करेगा।
8. पैरालीगल वोलेन्टियर (अधिकार मित्र), विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देगा एवं वृहद प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार सामग्री का प्रदर्शन प्रसिद्ध लोक स्थानों, मेलों में निर्देशित स्थान पर सुनिश्चित करेगा।
9. पैरालीगल वोलेन्टियर (अधिकार मित्र), अपने क्षेत्र में स्थापित विधिक सेवा क्लिनिकों के प्रभावी कार्य सम्पादन में सक्रिय सहयोग देगा।
10. समाज के कमजोर वर्ग के लोगो को उनके अधिकारों से अवगत करवायेगा।
11. आम नागरिकों के विवादो को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित करने एवं होने वाले परिलाभों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
12. पैरालीगल वोलेन्टियर द्वारा उनके क्षेत्र में अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत करवायेगा।
13. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए/396 भारतीय न्याय संहिता के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी प्रदान करेगा।
14. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल/कारागृह, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह में जाकर विधिक अधिकारों से अवगत करवायेगा।
15. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वॉयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी उपलब्ध करवायेगा।
16. विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि-लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के बारे में जानकारी प्रदान कर उसकी उपयोगिता बतायेगा।
17. पैरालीगल वोलेन्टियर (अधिकार मित्र), संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा अपने कार्यकलापों का मासिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट अग्रिम माह की 2 तारीख तक प्रस्तुत करेगा।
18. पैरालीगल वोलेन्टियर द्वारा विधिक सेवा केन्द्रों की गतिविधियों के संचालन के संबंध में नालसा (लीगल एण्ड क्लिनिक्स) स्कीम 2010 व रेगुलेशन 2011 लागू होंगे।


अध्यक्ष
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 (जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
 जालपोर

19. पीएलवी द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये सामग्री के जरिये प्रचार-प्रसार करेगा तथा शिविर आयोजन के पश्चात चार से पांच घण्टे संबंधित शिविर स्थल क्षेत्र में गांवों और वार्डों में घर-घर जाकर डोर टू डोर सम्पर्क कर योजनाओं की जानकारी आमजन को उपलब्ध करवायेगा।

10. साक्षात्कार :- जालोर न्यायक्षेत्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्य अभ्यर्थियों को पैरालीगल वोलेन्टियर को साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान की सूचना जरिये समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी तथा उक्त सूचना साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची सहित तालुका विधिक सेवा समिति भीनमाल, रानीवाडा, सांचौर तथा आहोर के कार्यालय एवं इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ-साथ जालोर जिला न्यायक्षेत्र की वेबसाइट <https://jalore.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/> पर भी उपलब्ध करवायी जायेगी। साक्षात्कार हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

11. स्पष्टीकरण :-

1. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक (पैरा लीगल वोलेन्टियर) जिस क्षेत्र में सेवा देने का इच्छुक हो, उस स्थान का उल्लेख आवेदन-पत्र में आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। पैरालीगल वोलेन्टियर्स के रूप में प्राथमिकता से उनका चयन किया जायेगा जो इसे आय का साधन समझकर नहीं आना चाहते। चयन किये जाने वाले व्यक्ति में जरूरतमंदों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए तथा शोषित और वंचित तबके के लिए करुणा, सहानुभूति तथा उनकी स्थिति बेहतर करने का संकल्प होना चाहिए।
2. आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान अर्थात् जिला स्तर पर या तालुका स्तर (नाम) पर पीएलवी का कार्य करना चाहता है।
3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पी.एल.वी. का चयन पूर्णतया अस्थाई होगा तथा इनकी सेवाएं बिना किसी नोटिस/परिलाम के समाप्त की जा सकेगी तथा यह नियमित नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे। पीएलवी का चयन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के साथ कोई संविदात्मक सेवा नहीं मानी जावेगी। यह कोई राजकीय सेवा नहीं है।
4. कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 03 दिनांक 30.05.2025 के क्रम में जो आवेदन पूर्व में प्रस्तुत किये जा चुके हैं उन आवेदकों को पुनः आवेदन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जो पैरालीगल वोलेन्टियर (अधिकार मित्र) के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें भी नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. चयनित पैरालीगल वोलेन्टियर को नालसा व रालसा के निर्देशों के अधीन समय-समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक, प्रोत्साहन राशि, मजदूरी या पैकेज नहीं दिया जायेगा।

नोट :- आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करे।

13/06/24
अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जालोर

क्रमांक :- जि.वि.से.प्रा./जा/पी.एल.वी./विज्ञप्ति/2026/9808-37 दिनांक :- 16/10/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, जालोर।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, भीनमाल/रानीवाड़ा/सांचोर/आहोर को सूचनार्थ एवं विज्ञप्ति की एक प्रति समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने बाबत प्रेषित।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
6. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त जिला जालोर को सूचनार्थ एवं विज्ञप्ति की एक प्रति समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने बाबत प्रेषित।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला जालोर को सूचनार्थ एवं विज्ञप्ति की एक प्रति समस्त पंचायत समितियों कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने बाबत प्रेषित।
8. जिला रोजगार अधिकारी, जालोर।
9. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर।
10. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जालोर।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
12. जिला जनसम्पर्क अधिकारी को प्रचारार्थ।
13. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जालोर/भीनमाल/रानीवाड़ा/सांचोर/आहोर।
14. प्राचार्य, वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालोर।
15. राजेन्द्रसुरी कुन्दनमल जैन राजकीय महिला महाविद्यालय, जालोर।
16. आशापूर्णा विधि महाविद्यालय, जालोर।
17. आयुक्त, नगर परिषद, जालोर।
18. अधीक्षक, जिला कारागृह, जालोर।
19. कारापाल, उप-कारागृह, भीनमाल/सांचोर।
20. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जालोर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।
21. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/नोटिस बोर्ड, बार एसोसिएशन, जालोर/नोटिस बोर्ड, नगर परिषद, जालोर।

16/10/26
अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जालोर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर (राज.)

E-mail – dlsa20jalore@gmail.com

Phone No.- 02973-294337

पैरा लीगल वोलेंटियर्स (अधिकार मित्र) के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

आवेदक का
स्वयं का
हस्ताक्षरशुदा
पासपोर्ट साईज
का नवीनतम
फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. विवाहित/अविवाहित
4. लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर)
5. संवर्ग (Gen./Obc/Ews/Sc/St/Sbc)
6. जन्म तिथि
6. (1) वर्तमान आयु
7. शैक्षणिक योग्यता
8. विशेष योग्यता
9. अनुभव (यदि कोई हो तो)
10. जहां आवेदक सेवाएं देने को इच्छुक हो
(जिला स्तर/तालुका स्तर)
11. स्थायी पता
.....
.....
12. वर्तमान पत्राचार का पता
.....
.....
13. मोबाईल नंबर
14. यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए
.....
15. आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, एनजीओ या किसी अन्य विशेष ग्रुप से जुड़ा है उसका
विवरण.....
16. यदि आवेदक पीएलवी के रूप में कार्य कर चुका है तो विवरण लिखें
.....
17. आवेदक के विरुद्ध किसी न्यायालय अथवा पुलिस थानों में कोई फौजदारी प्रकरण विचाराधीन
हो तो विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक
मैं सत्यापित करता / करती हूं कि उपरोक्त अंकित
सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है। मैं किसी राजनैतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक
(नोट:- आवेदक अपना आधार, शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण
पत्र अथवा 10वीं अंकतालिका, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज यदि हो तो संलग्न करें)